निर्णय अज अदालत अभिलाषा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

निर्णय दिनांकः—25.01.2021

मु0नं0 18/19

1. श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी स्व0 श्री हवासिंह आयु 62 साल जाति जाट निवासी सीरी परिसर पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।
2. हरफूल सिंह पुत्र श्री दाताराम महला आयु 61 साल जाति जाट निवासी सीरी परिसर पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।
3. मुकेश कुल्हरी पुत्र श्री रामसिंह कुल्हरी आयु 40 साल जाति जाट निवासी वार्ड न0 1 शान्ति नगर नगरपालिका विद्या विहार पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।

——वादीगण

बनाम

1. ताराचन्द पुत्र स्व0 रूपचन्द उर्फ रूपा
2. श्रीमती राजबाला पत्नी स्व0 रूपचन्द उर्फ रूपा
3. मु0 लक्ष्मी पुत्री स्व0 रूपचन्द उर्फ रूपा
4. मु0 सन्तोष पुत्री स्व0 रूपचन्द उर्फ रूपा
   समस्त जाति जाट निवासीयान खेड़ला तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।
5. मु0 प्रमीला पुत्री स्व0 रूपचन्द उर्फ रूपा पत्नी विजयपाल जाति जाट निवासी खेड़ला तहसील सूरजगढ़ व निवासी भालोठ की ढाणी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।
6. श्रीमती रिसालो देवी पत्नी मालाराम भेरी जाति जाट निवासी वार्ड न0 8 शान्ति नगर, नगरपालिका विद्या विंहार पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।
7. श्रीमती सुनेहरी पत्नी रामजस श्योराण जाति जाट निवासी गोठड़ा तहसील लुहारू जिला भिवानी हरियाणा।
8. धर्मवीर पुत्र रामसिंह
9. राजवीर पुत्र रामसिंह
10. रामसिंह पुत्र माईधन
    समस्त जाति जाट निवासीयान खेड़ला तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।
11. नगरपालिका पिलानी जरिये अधिशाषी अधिकारी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।
12. राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी तहसीलदार तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।
13. राजस्थान सरकार जिला कलेक्टर झुंझुनूं जिला झुंझुनूं।
14. बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक।
15. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा [illegible] तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:25:34 IST
Reason: SelfAttested

——————प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी – श्री सन्दीप मान

प्रतिवादीगण –श्री हजारीलाल सुनियॉं

Scanned with CamScanner

दावा घोषणा रिकार्ड दुरस्ती एवं विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

संक्षेप में तथ्य वाद इस प्रकार से है कि जमीन हाल ख0न0 212 रकबा 5.10 है0 वाके ग्राम खेडला स्थित है। उक्त हाल खसरा न0 212 के हाल खसरा न0 212/1 रकबा 2.49 है0, हाल ख0न0 212/2 रकबा 1.72 है0, हाल ख0न0 212/3 रकबा 0.38 है0, हाल ख0न0 212/4 रकबा 0.33 है0, हाल ख0न0 212/5 रकबा 0.11 है0, हाल ख0न0 212/6 रकबा 0.07 है0 बने हैं तथा उक्त हाल ख0न0 के नये हाल खसरा न0 458/212 रकबा 1.72 है0, हाल खसरा न0 462/212 रकबा 0.07 है0, हाल खसरा न0 459/212 रकबा 0.38 है0, हाल खसरा न0 460/212 रकबा 0.1884 है0, हाल खसरा न0 407/212 रकबा 0.09 है0, हाल खसरा न0 406/212 रकबा 0.0516 है0, हाल खसरा न0 461/212 रकबा 0.11 है0, हाल खसरा न0 212 रकबा 2.49 है0 बने है।

ग्राम खेडला में माईधन नामक व्यक्ति हुआ। उक्त माईधन के लड़के प्रतिवादी न0 10 रामसिंह व पूर्ण, रूपा उर्फ रूपचन्द हुए उक्त माईधन के फोत हो जाने के बाद उसके लड़को का सयुक्त हिन्दु परिवार नही रहा और करीब 30 साल पहले उक्त माईधन के लड़के रामसिंह, पूर्ण, रूपा उर्फ रूपचन्द अलग–अलग हो गये और अपने कृषि भूमि का भी विभाजन कर लिया था।

उक्त माईधन का लड़का रूपा उर्फ रूपचन्द के हिस्से में 1/3 हिस्से की कृषि भूमि हाल खसरा न0 212 में 24 बीघा कृषि भूमि रोड़ के सटकर रोड़ से पूर्व की तरफ व शेष हाल खसरा न0 214 में 6 बीघा खाम भूमि आई। इस मौजूदा दावा में हाल खसरा न0 214 का विवद नही है इस प्रकार उक्त माईधन के लड़को ने अपनी–अपनी सहूलियत से अपनी कृषि भमि का विभाजन करीब 30 साल पहले कर लिया था विभाजन मे आई कृषि भमि की सीमा भी निर्धारित कर ली थी। उक्त रूपा उर्फ रूपचन्द अपने 1/3 हिस्से की कृषि भूमि अलग काश्त करने लगा। उक्त रूपा उर्फ रूपचन्द का देहान्त हो गया उक्त रूपा उर्फ रूपचन्द के विधिक प्रतिनिधीगण प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 5 पुत्र, पुत्री व बेवा होने से उक्त रूपा उर्फ रूपचन्द ने अपने पुत्र व पुत्रीयों का विवाह किया तब रूपा उर्फ रूपचन्द के काफी कर्जा हो गया और अपना कर्जा चुकाने के लिए व घर जरूरत होने से विभाजन में आई अपनी विभाजित भूमि 1/3 हिस्से में आई भूमि हाल ख0न0 212 मे से प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 5 की सहमती से वादीया न0 1 को जरीये विक्रय पत्र दिनांक 21.10.2009 व विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2009 को कुल 432 वर्गगज यानी 0.0361 है0 जिसके हदुद उक्त विक्रय पत्रों में दर्ज है मय नक्शा विक्रय की है। इसी प्रकार वादीगण न0 2 को भी उक्त रूपा उर्फ रूपचन्द ने जरीये विक्रय पत्र दिनांक 21.10.2009 व विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2009 को कुल 432 वर्गगज यानी 0.0361 है0 जिसके हदुद विक्रय पत्र में दर्ज कर दी। और इसी प्रकार वादी न0 3 को भी उक्त रूपा उर्फ रूपचन्द ने जरीये विक्रय पत्र दिनांक 21.10.

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:25:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

2009 को व दिनांक 26.10.2009 को कुल 432 वर्गगज 0.0361 है. जिसके हदुद विक्रय पत्रो में लिखकर मय नक्शा विक्रय कर दी और उक्त रूपा उर्फ रूपचन्द ने वादीगण का कब्जा करवा दिया जिसे प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 5 भी सहमत थे। इस प्रकार वादीगण उक्त विक्रय पत्र की दिनांक से अपनी भूमि पर काबिज हो गये व इस कारण वादीगण अपने-अपने हिस्से पर काबिज है और इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 5 के पूर्वज रूपा उर्फ रूपचन्द ने अपने जीवनकाल में अपनी विभाजित कृषि भूमि का हाल ख0 न0 212 में से जरिये विक्रय पत्र संजू पत्नी विजय सिंह को 0.38 है0 भूमि प्रतिवादी न0 5 को विक्रय कर दिया जो रूपा उर्फ रूपचन्द की पुत्री है उक्त रूपा उर्फ रूपचन्द ने अपने जीवनकाल में नीतन अग्रवाल पुत्र नरेश को अपनी विभाजित कृषि भूमि हाल खसरा न0 212 में से जरीये विक्रय पत्र दिनांक 03.03.2008 को 0.44 है0 भूमि हाल खसरा न0 212 में से सुमन पत्नी सिकन्दर व बिमला पत्नी औमप्रकाश को बहिस्सा जरीये विक्रय पत्र विक्रय कर दी।

उक्त सुमन देवी व बिमला ने हाल ख0न0 212 मे प्रतिवादीगण न0 6 व 7 को विक्रय कर दी। इस प्रकार उक्त रूपा उर्फ रूपचन्द ने अपने जीवनकाल में भाई बटवारे मे अपने हिस्से आई अपनी विभाजित कृषि भूमि मे से भिन्न लोगो को विक्रय कर दी थी जिससे साफ जाहिर होता है कि रूपा उर्फ रूपचन्द ने अपने विभाजन मे आई भूमि मे से जमीन विक्रय की है और रूपा उर्फ रूपचन्द के विक्रय पत्रों से उसके विधिक प्रतिनिधिगण पाबन्द है। प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 5 के पूर्वज रूपा उर्फ रूपचन्द का देहान्त हो जाने के बाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के यहा प्रतिवादी न0 1 व 10 ने उक्त वर्णित कृषि भूमि का दावा खाता विभाजन दावा उनवानी रामसिंह वगैरा बनाम पूर्ण वगैरा मुकदमा न0 328/13 पेश किया उक्त दावा बाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ में हस्तान्तरित हुआ उक्त दावा में जानबूझकर वादीगण को पक्षकार नही बनाया उक्त दावे में प्रतिवादीगण की तामील नही करवाई बिना तामील व बिना विधिक प्रकिया अपनाये दावे को दिनांक 05.12.2014 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई।

हल्का पटवारी द्वारा बिना मौके पर जाकर बिना कब्जे की जॉच किए विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये। जबकि प्रतिवादी न0 1 लगायत 10 को वादीगण की कयशुदा भूमि पर कब्जा का पता था इसके बावजूद भी प्रतिवादी न0 1 लगायत 10 ने हल्का पटवारी व तहसीलदार से मिलकर गलत विभाजन प्रस्ताव [illegible] न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ से अन्तिम डिक्री दिनांक [illegible] में पारीत करवाई जो वादीगण के अधिकारो के खिलाफ [illegible] रिकार्ड अवैध व शून्य है। इस कारण उक्त डिक्री व निर्णय वादीगण पर लागू नही [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:25:34 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वर्णित जमीन में प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 10 आपस मे मिलकर वादीगण को जबरदस्ती बेदखल करना चाहते है दिनांक 14.11.2018 को वादीगण अपनी कब्जा वाली भूमि

Scanned with CamScanner

को सम्भालने के लिए गये तो वादीगण की अपनी भूमि में पड़े पत्थरो को प्रतिवादीगण न01 लगायत 10 हटा रहे थे इस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 10 को मना किया तो प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 10 मान गये और कहा की आपको आपकी क्रय की गई भूमि पर हम कब्जा नही करेगे आपको इस भूमि के बदले दूसरी जगह भूमि दे देगे वादीगण ने कहा की हमने जो जहा भूमि खरीदी थी उसी जगह भूमि लेगे फिर दिनांक 03.02.2019 को वादीगण उक्त हिस्से वाली जमीन पर गये तो प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 10 ने धमकी दी की वादीगण की जो भूमि है वह राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है। इस कारण जबरदस्ती बेदखल करेगे और हमने आपकी भूमि का भी गलत विभाजन करवा लिया है और अब आपको कोई भूमि नही मिलेगी इस प्रकार वादीगण प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 10 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है उक्त भूमि में प्रतिवादी न0 6 ने अपने हिस्से की भूमि मे से 0.0516 है0 प्रतिवादी न0 13 के हक मे समर्पण कर दिया इस कारण दावा में पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 5 उक्त रूपा उर्फ रूपचन्द के विधिक वारिस तथा प्रतिवादी न0 6 व 7 क्रेता है व प्रतिवादी न0 8 लगायत 10 को टिनेन्टस होने से व प्रतिवादी न0 14 के भूमि रहन होने से फरीक दावा बनाया गया।

प्रतिवादी न0 6 ने अपनी भूमि का सपरिवर्तन करवा कर पेट्रोल पम्प का व्यवसाय कर रही है और उक्त पेट्रोल पम्प के सटकर उत्तर दिशा में पिलानी से चिड़ावा जाने वाली रोड़ पर 108 फुट लगती हुई भूमि पर वादीगण बहिस्सा काबिज है इस घोषणा के मुताबिक वादीगण अपनी भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी है। दिनांक 14.11.2018 को वादीगण अपनी भूमि सम्भालने गये तब प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 10 वादीगण के पत्थर हटा रहे थे वादीगण की जमीन को मानने से इन्कार कर दिया । मना करने के दिन बिनायमुखासम्वत अदाहत हजा के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की द्वारा 53 88 92ए व 188 के तहत पेश किया गया।

दावा पेश कर निवेदन किया की दावा डिक्री किया जाकर जमीन हाल खसरा न0 458/212 रकबा 1.72 है0 हाल खसरा न0 462/212 रकबा 0.07 है0 हाला खसरा न0 459/212 रकबा 0.38 है0 हाल खसरा न0 460/212 रकबा 0.1884 है0 हाल खसरा न0 407/212 रकबा 0.09 है0 हाल खसरा न0 406/212 रकबा 0.0516 है0 हाल खसरा न0 461/212 रकबा 0.11 है0 हाल खसरा न0 212 रकबा 2.49 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 5. 10 है0 वाके ग्राम खेड़ला तहत तहसील सूरजग[illegible] को बहिस्सा 0.1084 है0 के कोटिनेन्टस सह आसामी है। उ[illegible] की भूमि का विभाजन किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की [illegible]व अन्तिम डिक्री जारी की जावे और तथाकथित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.1[illegible]14 व अन्तिम डिक्री दिनांक 03.06. 2015 व उससे बना राजस्व रिकार्ड वादीगण के अधिकारो के खिलाफ प्रभावहीन है और प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 10 को स्थायी निषेधाज्ञा से प्राबंध किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:25:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

इस प्रकार उक्त तथ्यो के आधार पर वाद पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये सम्बन्ध नकल दावा भेजकर दावा की सुचना दी गई बाद सुचना प्रतिवादी न0 1 लगायत 11 की तरफ से वकील उपस्थित आये लेकिन दावे की सुनवाई के दोरान उपस्थित नही आये इस कारण प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही अमल मे लाई गई इसके उपरान्त शहादत वादी में दावे के कथनो की पुष्टी में बतौर साक्ष्य में PW1 हरफूल सिंह , PW2 सुमित्रा देवी के बयान चीफ मे शपथ पत्र पेश किये। उक्त मौखिक साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा किश्तवार प्रदर्श–1, जमाबन्दी सम्वत 2074 से 77 प्रदर्श–2, जमाबन्दी सम्वत 2074 से 77 प्रदर्श–3, जमाबन्दी सम्वत 2074 से 77 प्रदर्श–4, जमाबन्दी सम्वत 2074 से 77 प्रदर्श–5, जमाबन्दी सम्वत 2074 से 77 प्रदर्श–6, जमाबन्दी सम्वत 2074 से 77 प्रदर्श–7, जमाबन्दी सम्वत 2074 से 77 प्रदर्श–8, असल विक्रय पत्र दिनांक 21.10.2009 बहक सुमित्रा देवी मय नक्शा प्रदर्श–9, असल विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2009 बहक सुमित्रा देवी मय नक्शा प्रदर्श–10, असल विक्रय पत्र दिनांक 26.10.2009 बहक मुकेश कुल्हरी मय नक्शा प्रदर्श–11, असल विक्रय पत्र दिनांक 21.10.2009 बहक मुकेश कुल्हरी मय नक्शा प्रदर्श–12, असल विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2009 बहक हरफुल सिंह मय नक्शा प्रदर्श–13, असल विक्रय पत्र दिनांक 21.10.2009 बहक हरफुल सिंह मय नक्शा प्रदर्श–14, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 2060 प्रदर्श–15, जमाबन्दी सम्वत् 2061 से 2064 प्रदर्श–16, जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 प्रदर्श–17, जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 प्रदर्श–18, प्रमाणित प्रतिलिपि आदेशिका दावा सम्वत् प्रदर्श–19 प्रमाणित प्रतिलिपि दावा मय नक्शा प्रदर्श–20 प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र सुनेरी देवी वगैरा मय नक्शा प्रदर्श–21, प्रमाणित प्रतिलिपि डिक्री दिनांक 03.06.2015 प्रदर्श–22, प्रमाणित प्रतिलिपि डिक्री दिनांक 05.02.2014 प्रदर्श–23, प्रमाणित प्रतिलिपि नजरी नक्शा प्रदर्श–24, प्रमाणित प्रतिलिपि विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श–25, प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरण संख्या 612 प्रदर्श–26, प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण संख्या 610 प्रदर्श–27, प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण संख्या 540 प्रदर्श–28, प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण संख्या 546 प्रदर्श–29, प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण संख्या 657 प्रदर्श–30, प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण संख्या 658 प्रदर्श–31 दस्तावेजात प्रस्तुत किये है।

इसके पश्चात बहस वादीगण सुनी गई व वादीगण के अधिवक्ता ने दावे के तथ्यों को दोहराते हुए दावा डिक्री करने का निवेदन किया। इसके बाद पत्रावली का अवलोकन किया प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 5 के पूर्वज रूपा उर्फ रूपचन्द ने अपनी विभाजित भूमि हाल खसरान न0 212 मे से वादी न0 1 को दिनांक 21.10.2009 व दिनांक 30.10.2009 को कुल 432 वर्ग गज यानि 0.0361 है0 व वादी न0 2 को दिनांक 21.10.2009 व दिनांक 30.10.2009 को कुल 432 वर्ग गज यानि 0.0361 है0 व वादी न0 3 को भी दिनांक 21.10.2009 व दिनांक 26.10.2009 को कुल 432 वर्ग गज यानि 0.0361 है0 जरिये विक्रय पत्रों मय नक्शा मे हदुद दर्शाकर वादीगण के हक मे पंजीबद्व करवाये है। यह पत्रावली पर पेश उक्त विक्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:25:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पत्रो से साबित भी होता है और उक्त रूपा उर्फ रूपचन्द के वारीस प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 5 उक्त विक्रय पत्रो से पाबंद भी है और प्रतिवादी न0 1 व 10 ने उक्त विवादित जमीन का दावा खाता विभाजन का उनवानी रामसिह वगैर बनाम पूर्ण वगैरा मुकदमा न0 328/13 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के यहा पेश किया उस दावे मे मौजूदा दावे के पक्षकार नही है इस कारण उक्त दावे में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.12.2014 व अन्तिम डिक्री दिनांक 03.06.2015 व निर्णय से वादीगण पक्षकार न होने से पाबंद नही है इस कारण वाद में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड, मौखिक साक्ष्य सबूतो से वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्योचित प्रतीत होता है। पूर्व के तथाकथित विभाजन वादीगण के अधिकारो के खिलाफ बेअसर किया जाकर वाद वादीगण डिक्री किया जाता है।

आदेश

वाद वादीगण डिक्री किया जाकर जमीन हाल खसरा न0 458/212 रकबा 1.72 है0, हाल खसरा न0 462/212 रकबा 0.07 है0, हाल खसरा न0 459/212 रकबा 0.38 है0, हाल खसरा न0 460/212 रकबा 0.1884 है0, हाल खसरा न0 407/212 रकबा 0.09 है0, हाल खसरा न0 406/212 रकबा 0.0516 है0, हाल खसरा न0 461/212 रकबा 0.11 है0,हाल खसरा न0 212 रकबा 2.49 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 5.10 है0 वाके ग्राम खेड़ला तहत तहसील सूरजगढ़ मे वादीगण रकबा 0.1084 है0 के बहिस्सा के कोटिनेन्टस (सह आसामी) की घोषणा की जाती है और घोषणा के मुताबिक वादीगण का विभाजन कर प्रतिवादी न0 6 के पैट्रोल पम्प के सटकर उत्तर दिशा मे पिलानी से चिड़ावा जाने वाली रोड़ पर 108 फुट लगती हुई भूमि को वादीगण को बहिस्सा दी जावे। और अलग से भूमि राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के नाम से दर्ज कर अमल दरामद करें और प्रतिवादी न0 1 लगायत 10 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के उपयोग व उपभोग मे बाधा कारीत नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:25:34 IST
Reason: SelfAttested

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

Scanned with CamScanner